



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/08/11/2016/एफ.सी. / 45

दिनांक: 5-5-2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),  
वन विभाग, अरण्य भवन,  
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,  
जयपुर, राजस्थान

ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Water/18810/2016

**विषय: Diversion of 4.0 ha. of forest land for laying of Drinking Water Pipeline in favour of PHED Project Division, District- Kota, Rajasthan**

सन्दर्भ- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ140/2013/एफ0सी0ए0/प्रमुखसं/836  
दिनांक- 17.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित आनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंस्थक पत्र दिनांक 06.01.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति० प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर विचारोपरान्त गुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. The area of proposed for diversion is not clearly marked in kml file uploaded at para-"c" part I online. Further, the shape of area proposed for diversion in kml file does not match with the shape given in digital map uploaded at para "c" part I Online.
2. The District Level committee meeting proceedings under FRA does not appear to be correct as it talks about providing equivalent land to forest department, which is generally used for CA.

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, कोटा, राजस्थान।
3. अतिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा, राजस्थान।
4. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

Kindly Provide the required information by GOI.

APCCF & Nodal officer FCA

Secretary to Government  
Forest Department  
Govt. Secretariat, Jaipur

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)